

न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या-102/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नथमल पुत्र दीपचंद जाति ब्राह्मण निवासी ईडवा तहसील डेगाना, जिला नागौर, राज0		<ol style="list-style-type: none"> भारत संघ जरिये सचिव भारतीय राजमार्ग, पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर, नागौर। परियोजना निर्देशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्लोट नं.-156, गिरधर कोलोनी, वैशाली नगर, जयपुर(राज0) रेखराज पुत्र गणेशलाल राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गणेशलाल पुखराज पुत्र गणेशलाल शिवरतन पुत्र दीपचंद कचरूमल पुत्र तेजकरण
		अप्रार्थी संख्या-4 से 8 जाति ब्राह्मण निवासीगण ईडवा तहसील डेगाना, जिला नागौर।

उपस्थित :-

- प्रार्थी की ओर से वकील श्री गंगासिंह।
- अप्रार्थी 1 व 3 की ओर से वकील राकेश धनकड़ एवं अनिल गौड़।
- अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।


आदेश

दिनांक: 02.11.2017

1-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(ड) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 28.10.2016 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने दिनांक 24.4.2017 को अप्रार्थी संख्या-4 से 8 की हस्तगत प्रकरण में तलबी आवश्यक नहीं होने का कथन करते हुए इनकी तलबी बंद की जाकर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत करने का निवेदन किया, जिस पर उक्त प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया।

2-उभय पक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि-

कलक्टर, नागौर



2(1)— प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या-4 से 8 की सहकब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि मौजा ईडवा तहसील डेगाना में खसरा नम्बर 245 रहती चली आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) में परिवर्तित करने नोटिफिकेशन संख्या 26251 दिनांक 25.04.2013 के द्वारा अवाप्त करने हेतु अपनी आपत्तियां भूमि अवाप्ति अधिकारी नागौर के समक्ष करे, जिस पर प्रार्थी ने आपत्तियां दर्ज कराई मगर उन्हें न मानकर दिनांक 28.10.2014 को एँवार्ड नं. 715 के द्वारा 32,798/-कर दिये जो बहुत ही कम है।

2(2)— मौजा ईडवा की भूमि खसरा नम्बर 245 बारानी प्रथम किस्म की भूमि है। यह भूमि बहुत ही उपजाउ व उच्च किस्म की भूमि है, जिसका बाजार भाव अवाप्ति के वक्त 2,50,000/- रूपये प्रति बीघा से कम नहीं है बल्कि इससे ज्यादा ही है। अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा बाजार दर से न करके डी.एल.सी. दर को ही बाजार मूल्य मान कर मुआवजा तय कर दिया है। डी.एल.सी. दर बहुत पहले की है उसके बाद भूमियों की कीमतें अप्रत्यासित रूप से बढ़ी हैं तथा दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, जो डी.एल.सी. दर से बहुत ज्यादा है। इसलिए इनमें भारी अन्तर है। इसलिए इस भूमि की बाजार कीमत 2,50,000/-रूपये कीमत प्रति बीघा मानकर मुआवजा निर्धारित करना चाहिए था। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 ने 1,05,060/-रूपये प्रति हैक्टर कीमत आंक कर मुआवजा तय कर दिया है। इस दर से प्रति बीघा 16000/-रूपये या इससे कुछ अधिक पड़ता है, इसलिए मुआवजा कम है।

2(3)— भूमि का मुआवजा बाजार कीमत जो उपर बताई है। उस पर चार गुणा निर्धारित करना चाहिए। नया भूमि अवाप्ति कानून का पहले ऑर्डिनेंस हो गया था तथा बाद में कानून बन गया सो उसी के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा तय होना चाहिए था।


2(4)— भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय का मुआवजा तय करने का आधार ही गलत है। उन्होने बारानी व सिंचित दो ही किस्में भूमि की मानी है। जबकि बारानी की भूमि की नागौर जिले में 5 किस्मे है, सो सब का मुआवजा एक नहीं हो सकता। उनका लगान अलग-अलग है तथा सीलिंग कानून में भी अलग-अलग लिमिट अवाप्ति व सीलिंग सीमा निर्धारण में अलग-अलग है, इसलिए पूरा मुआवजा गलत आधारों पर है, जो वापस तय होना चाहिए।

2(5)— प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या-4 उनकी भूमि अवाप्त होने के कारण विस्थापित होने की वैकल्पिक व्यवस्था व पुर्नस्थापना की कोई व्यवस्था नहीं की गई एवं न इसके लिए अतिरिक्त मुआवजा तय किया गया है। इस भूमि पर वृक्ष हैं, जिनका भी मुआवजा अलग से निर्धारण होना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

2(6)— प्रार्थी व उसके हिस्सेदार बढ़ा हुआ मुआवजा ब्याज पाने के भी अधिकारी होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने उनके द्वारा प्रार्थना पत्र व बहस में बताये अनुसार तरीके से अवार्ड संशोधित कर मुआवजा तय करने का निवेदन किया है।

3. वकील (अप्रार्थीगण संख्या-1 व 3) ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुवे अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि—

3(1)— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित होने से राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उप धारा-(1) के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.03.2013 को अधिसूचना जारी की गई, जिसे दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक




कलक्टर, नागौर

14.4.2013 को प्रकाशित करवाकर हितधारितियों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर आपत्तियां/आक्षेप आमन्त्रित किये गये, तत्पश्चात प्राप्त आपत्तियों/आक्षेपों पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3C में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22.11.2013 अधिनियम की धारा 3डी की उप धारा (1) के अधीन घोषणा जारी की गई कि उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जावेगी। हितधारितियों व हर आम खास की सूचनार्थ उक्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.12.2013 को किया गया। अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम अधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार की सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजने पर उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत प्रार्थी की ग्राम ईडवा खसरा नं. 265 में से 0.0946 हैक्टर अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में अंतिम रूप से निहित हो चुकी है, जिसका अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार समस्त विधिक प्रक्रिया अपना कर भूमि की प्रकृति बरानी 1 मानते हुए अवाप्तशुदा भूमि, कुआ व नलकूप एवं पेड़ों की समुचित मुआवजा राशि का निर्धारण कर मुआवजा राशि कुल रूपये 32,798/-का अवाई दिनांक 28.10.2014 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-4 से 8 के पक्ष में पारित कर दिया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अवाप्तशुदा भूमि का खसरा नम्बर 245 दर्ज किया है, जबकी स्वीकृत रूप से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का खसरा नम्बर जो कि 265 है की अवाप्तशुदा भूमि के सन्दर्भ में उपरोक्त अवाई पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर मुआवजा राशि का समुचित रूप से निर्धारण कर अवाप्तशुदा भूमि का अवाई पारित किया गया है, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है तथा ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)— सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए अधिनियम 1956 के प्राधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/ अन्य मुख्य सड़क के सन्दर्भ में उप पंजीयक से धारा 3ए की दिनांक 11.03.2013 की प्रचलित मार्केट वेल्यू (डीएलसी वेल्यू) मंगवाई, जो प्रचलित बाजार दर के अनुसरण होने से उसे अवाप्त शुदा भूमि की कीमत मानकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है। डी.एल.सी. दर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता आदि का पूर्ण ध्यान रखते हुए तय की जाती है। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 में डीएलसी को परिभाषित किया हुआ है।

3(3)— सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचना/स्ट्रक्चर का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अजमेर द्वारा अधिकृत फर्म मैसर्स जैमन एसोसियेट्स गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के सामने टोंक रोड़ जयपुर से कराया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स से प्रमाणित होने के पश्चात वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी एस आर) के अनुसार मूल्यांकन करवाया जो पूर्णतः सही व उचित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमियों में स्थित संरचनाओं के संबंध में आंशिक अवाई दिनांक 4.08.2015 को पारित किया गया, परन्तु प्रार्थी के प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि पर कोई संरचना नहीं पाई गई है।



3(4)— सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में आने वाले वृक्षों की कीमत का मूल्यांकन, वृक्षों की प्रजाति के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारण, उप वन संरक्षक नागौर द्वारा करवाया जाकर मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार भूमि व नलकूपों व विद्युत कनेक्शन इत्यादि के मुआवजे का निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाकर मुआवजा राशि निर्धारित की गई है, जो नियमानुसार सही व विधि सम्मत है।

3(5)— सक्षम अधिकारी द्वारा उप पंजीयक महोदय कार्यालय से प्राप्त दरों के अनुसार कृषि, आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि के संबंध में प्रचलित डीएलसी दरों को आधार माना गया है। लेकिन आवासीय व व्यवसायिक दर के अनुसार मुआवजा उन्ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जिनकी भूमि का विधि अनुसार मुआवजे की गणना के समय राजस्व अभिलेखों में उक्त रूपान्तरण दर्ज हो। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म राजस्व अभिलेख में मुआवजा निर्धारित करते समय दर्ज थी उसी किस्म के आधार पर मुआवजा अदा किया गया है, जो पूर्णतः उचित एवं सही है। सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारित करने से पूर्व विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया था। सक्षम प्राधिकारी ने उसको प्राप्त समस्त आपत्तियों को आपत्तिकर्ताओं को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण कर मुआवजा राशि तय की है, जो पूर्णतः उचित व सही है।

3(6)— सक्षम अधिकारी द्वारा उप पंजीयक/तहसीलदार से प्राप्त दरों अनुसार कृषि, आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि के संबंध प्रचलित डीएलसी दरों को आधार माना है, लेकिन आवासीय व व्यवसायिक दर के अनुसार मुआवजा उन्ही व्यक्तियों का दिया जा सकता है, जिनकी भूमि का विधि अनुसार रूपान्तरण हो चुका हो तथा मुआवजे की गणना के समय राजस्व अभिलेखों में उक्त रूपान्तरण दर्ज हो व यदि किसी व्यक्ति ने बिना भूमि के रूपान्तरण के कृषि भूमि का उपयोग आवासीय या व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कर रखा है, तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा हाईवे पर स्थित भूमि के रूपान्तरण के संबंध में जारी दिशा निर्देश एवं राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 24.2.2005 व 20.11.2004 के अनुसार आवासिय भूमि सड़क के मध्य से 40 मी., व्यवसायिक भूमि 75 मी. एवं औद्योगिक भूमि 100मी. छोड़कर ही रूपान्तरण किये जाने के प्रावधान है, यदि इसके विरुद्ध यदि कोई रूपान्तरण किया भी गया हो तो वह विधि विरुद्ध होकर गैर कानूनी माना जाना चाहिए। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म राजस्व अभिलेख में मुआवजा निर्धारित करते समय दर्ज थी उसी किस्म के आधार पर मुआवजा अदा किया गया है, जो उचित एवं सही है।

3(7)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने भूमि में हितबद्धधारियों के भूमि के उपयोग करने के अधिकार का अपवर्जन होने से धारा 3जी(1) में प्रतिकर के रूप में दी गई है, का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4—वकील अप्रार्थी संख्या-2 राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से की गई बहस का समर्थन करते हुए वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने का कथन करते हुए मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

5—वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार—

5-(1) निम्बीजोधा से जरसाखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या-606(अ) दिनांक 11.03.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है, जिस पर धारा 3जी के तहत



कलक्टर, नागौर

मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा सम्पादित करते हुए आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014 को जारी किया गया है। इस आंशिक अवार्ड के तहत इस प्रकरण में प्रार्थी की ग्राम ईडवा के खसरा नम्बर 265 में से 0.0946 हैक्टर बरानी 1 अधिग्रहित भूमि एवं पेड़ों का कुल मुआवजा राशि 32798/-रूपये निर्धारित किया गया, जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अवाप्तशुदा भूमि का खसरा नम्बर 245 दर्ज किया है एवं प्रार्थी की इस्तदुआ भी खसरा नम्बर 245 के संबंध में की गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त अवार्ड के प्रकरण संख्या-715 बताये गये हैं, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 265 है। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण के संबंध में न्यायहित में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है।

5-(2) प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन किया गया है, जबकि आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 11.03.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.04.2013 में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां आमंत्रित गई थी, मगर तत्समय प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ततपश्चात धारा 3घ की अधिसूचना दिनांक 22.11.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 24.12.2013 को प्रकाशित करवाया गया उक्त प्रकाशन के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5-(3) मुआवजा राशि बाजार कीमत पर नहीं देकर डी.एल.सी. दर के आधार पर दिये जाने तथा अवाप्तशुदा भूमि का अवाप्ति के वक्त बाजार दर 2,50,000/-रूपये प्रति बीघा से कम की नहीं होना बल्कि इससे ज्यादा ही होने का कथन किया है।

वकील प्रार्थी के इस कथन से ही स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी द्वारा इस अवाप्तशुदा भूमि की कीमत का कयास मात्र व्यक्त किया है। उक्त कीमत का कोई वैधानिक एवं तकनीकी आधार नहीं बताया है। इसके अलावा उप पंजीयक द्वारा निर्धारित दरें किस प्रकार से कम अथवा गलत निर्धारित की गई हैं, के संबंध में भी अपने वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस से साबित करने में असफल रहे हैं। जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/ अन्य मुख्य सड़क के सन्दर्भ में उप पंजीयक द्वारा धारा 3ए की दिनांक की मार्केट वेल्यू (डीएलसी वेल्यू) को अवाप्त शुदा भूमि की कीमत मानकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है। डी.एल.सी. दर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता आदि का पूर्ण ध्यान रखते हुए तय की जाती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

5(4)—वकील प्रार्थी द्वारा भूमि का मुआवजा उनके स्वयं द्वारा बताई गई बाजार कीमत पर 4 गुणा निर्धारित करने को लेकर कथन किया है। प्रार्थी के प्रकरण में एन.एच.एक्ट 1956 की धारा 3 जी (1) में प्रतिकर के रूप में अवधारित राशि की 10 प्रतिशत राशि धारा 3जी(2) के तहत प्रार्थी को दिये जाने का प्रावधान है, जो प्रार्थी को दी गई है।

वकील प्रार्थी द्वारा बताई गई भूमि की बाजार कीमत पर 4 गुणा निर्धारित के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, न ही वकील प्रार्थी ने स्वयं द्वारा बताई बाजार कीमत पर 4 गुणा मुआवजा निर्धारित करने के संबंध में ऐसी कोई विधि सम्मत एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है।

कलक्टर, नागौर




5-(4) प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर वृक्ष होना तथा जिनका भी मुआवजा अलग से निर्धारण करने का कथन है। उक्त संबंध में प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर कोई वृक्ष इत्यादि नहीं होने से प्रार्थी के प्रकरण में वृक्षों के सम्बन्ध में कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कितने पेड़ अवाप्ति क्षेत्र में आये जिनका मुआवजा निर्धारण नहीं हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्यांकन वन विभाग के अधिकारी द्वारा, जो कि इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ है के द्वारा ही किया गया जाना प्रतीत होता है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। जहां तक भूमि/सम्पदा और उसमें पेड़े पौधों की उपयोगिता/उपादेयता का प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(2) के अन्तर्गत अर्जन किये जाने वाली भूमि के उपयोग का अधिकार ऐसे अर्जन के कारण प्रभावित होता है, तो भूमि के मुआवजे की राशि का 10 प्रतिशत राशि संगणित किये जाने के प्रावधान है। प्रस्तुत मामले में अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त 10 प्रतिशत राशि को मुआवजा में शामिल किया गया है।

5(4)— प्रार्थी की भूमि अवाप्त होने के कारण, उसके विस्थापित होने की वैकल्पिक व्यवस्था व पुर्नस्थापना का भी कोई मुआवजा पारित अवार्ड में नहीं जोड़ने को लेकर जो वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में प्रार्थी की भूमि अवाप्त होने के कारण, प्रार्थी विस्थापित हो गया है, के संबंध में न तो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में एवं न ही वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कोई ठोस आधार प्रकट किये है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है।

6—उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता का प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014 को यथावत कायम रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं होने पर लौटाया जावे।

7—आदेश सुनाया।




(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर, नागौर